न्यायालयः- सेशन न्यायाधीश, अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी - अनंत भण्डारी

दाण्डिक निगरानी संख्या - 20/2026

1- गजेन्द्र सिंह नरूका पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह नरूका, उम्र करीबन 30 साल, निवासी जयपुर रोड, भोमिया जी का मंदिर, पुराना भूरा सिद्ध, रामकृपाल नगर, जिला अलवर (राज.)

-----निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1- राज. सरकार जरिये लोक अभियोजक, अलवर (राज.)

2- संजय शर्मा पुत्र श्री शिवदयाल शर्मा, उम्र करीबन 40 साल, निवासी 4/17, विवेकानंद नगर, उज्जवल एकेडमी के सामने, जिला अलवर (राज.)

----गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या 01,अलवर के आक्षेपित आदेश दिनांकित 04.06.2025 के विरुद्ध

उपस्थितः-

1- श्री हिमांशु बगरहट्टा, विद्वान अधिवक्ता - निगरानीकर्ता की ओर से।

2- श्री महेन्द्र चन्द शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक - राज्य की ओर से।

3- श्री देवेन्द्र कुमार सैनी, विद्वान अधिवक्ता - गैर निगरानीकर्ता संख्या 02 की ओर से।

आ दे श

दिनांकः 24.03.2026

1- निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या 01,अलवर के आक्षेपित आदेश दिनांक 04.06.2025 से व्यथित होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने, निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा, परिवादी के गवाह से किए जाने वाले प्रतिपरीक्षण के अवसर को समाप्त किया है।

2- विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि उनके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.06.2025 को उपस्थित होकर, निगरानीकर्ता/ अभियुक्त की हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया था और वह किसी अन्य न्यायालय में व्यस्त हो गया था, इस कारण से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जिरह हेतु उपस्थित नहीं हुआ, इस कारण से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उसकी जिरह का अवसर समाप्त किया है। अतः निगरानीकर्ता/अभियुक्त को जिरह का अवसर प्रदान किया जावे।

3- परिवादी/गैर निगरानीकर्ता संख्या 02 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पूर्व में भी दिनांक 15.04.2025 को गवाह उपस्थित था, जिसका मुख्य परीक्षण लेखबद्ध

किया गया, परंतु उस दिन भी अभियुक्त की ओर से जिरह का अवसर चाहा गया। दिनांक 04.06.2025 को पुनः जानबूझकर प्रतिपरीक्षण के लिए अधिवक्ता अभियुक्त उपस्थित नहीं हुये। इस कारण से प्रतिपरीक्षण का अवसर सही प्रकार से समाप्त किया गया है। अतः निगरानी खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

4- बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5- हम पाते है कि दिनांक 04.06.2025 को निगरानीकर्ता/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थिति दर्ज की थी और उन्होंने हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया था। निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने किसी अन्य न्यायालय में चले जाने के कारण, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरण में जिरह हेतु उपस्थित नहीं हो पाने का कारण बताया है, जो युक्तियुक्त प्रतीत होता है। प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुये प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 04.06.2025 अपास्त किये जाने योग्य है।

-आदेश-

6- लिहाजा, निगरानीकर्ता/अभियुक्त गजेन्द्र सिंह नरूका की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 04.06.2025 अपास्त किया जाकर, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे निगरानीकर्ता/अभियुक्त को जिरह के लिए एक और अवसर प्रदान करें। प्रतिपरीक्षण हेतु नियत तारीख पर निगरानीकर्ता/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपस्थित नहीं होने पर, प्रतिपरीक्षण का अवसर स्वतः ही समाप्त माना जायेगा।

7- आदेश की प्रति विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को अविलम्ब भिजवाई जाए।

(अनंत भण्डारी)
सेशन न्यायाधीश, अलवर

8- आदेश आज दिनांक 24.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अनंत भण्डारी)
सेशन न्यायाधीश, अलवर